

उत्तराखण्ड में खुलेगा पहला सरकारी ड्रोन संस्थान व रपियरगि सेंटर

चर्चा में क्यों?

2 दसिंबर, 2022 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड में ड्रोन की मदद से वभागों के काम आसान करने और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये राज्य सरकार ड्रोन संस्थान खोलेगी। इससे ड्रोन के नरिमाण, संचालन और मरम्मत की राह आसान हो जाएगी।

प्रमुख बाढ़ि

- जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभास एजेंसी (आईटीडीए) ने उत्तराखण्ड में ड्रोन के नरिमाण से लेकर रपियरगि, नविशकों को आकर्षित करने के लिये ड्रोन पॉलसी बनाकर शासन को भेजी है। पॉलसी में तेलंगाना की ड्रोन पॉलसी की तर्ज पर कई अहम बदलाव किये गए हैं। ड्रोन पॉलसी पर सरकार जलद कैबिनेट में नरियन ले सकती है।
- इसके तहत ड्रोन कॉरडियर के अलावा सरकारी ड्रोन संस्थान, रपियरगि सेंटर खोलने का भी प्रावधान किया जा रहा है।
- जानकारी के अनुसार ऐसा ड्रोन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो युवाओं को ट्रेनिंग संग सरकारी वभागों में ड्रोन की जरूरतों को चहिनति करेगा। इसकी मदद से वभाग ड्रोन से अपने काम आसान कर सकेंगे। वही, प्रदेश में ड्रोन रपियरगि सेंटर भी खोले जा सकेंगे।
- ड्रोन पॉलसी में यह प्रावधान किया गया है कि ड्रोन नरिमाता और सेवा प्रदाता अपने उत्पाद का नशुल्क ट्रायल कर सकेंगे। इसके लिये फ्री फ्लाई जॉन तैयार किया जाएगा। ड्रोन के टेकऑफ और लैंडिंग के लिये एयस्ट्रॉप, ग्राउंड कंट्रोल सेटअप, मेकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल लैब, हैंगर, ट्रेनिंग, हेलीपैड, सपोर्ट सपेशलिस्ट, रचिरजगि स्टेशन आदिकी सुवधि दी जाएगी।
- पॉलसी में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार एक फेसलिटिशन सेल खोलेगी जिसमें ड्रोन के लाइसेंस और पंजीकरण की सुवधा मिलेगी। सरकार का मकसद है कि डीजीसीए के नियमों का अनुपालन सखती से हो और ड्रोन को बढ़ावा भी मिले। यह सेल ड्रोन नरिमाण के प्रमाण में भी मदद करेगी।
- ड्रोन की सुरक्षित उड़ान को लेकर रटियरड आरमी अफसरों, जवानों और पुलिसकरमणों की मदद से स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड सेना के अपने अनुभवों के आधार पर ड्रोन की सुरक्षित उड़ान को लेकर जरूरी सलाह देगा।
- प्रदेश के सरकारी और नजी इंजीनियरगि कॉलेज, पॉलटिकनिक संस्थानों में भी आईटीडीए की मदद से युवाओं को ड्रोन संचालन और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। एरियल फोटोग्राफी, सर्विलांस, रमोट सेंसिंग को लेकर विशेष प्रोग्राम संचालित किया जाएगे। ड्रोन इंजीनियरगि में काम कर रहे विश्वविद्यालय से भी समझौता किया जाएगा। ड्रोन के रसिरच को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नरिमाताओं को लाभ-
 - एक नशिचति अवधातिक नरिमाताओं को एसजीएसटी में 100 प्रतशित छूट दी जा सकती है।
 - वह अधिकितम पाँच करोड़ रुपए तक नविश कर सकते हैं।
 - उन्हें प्रोजेक्ट में 25 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकितम तीन करोड़ तक होगी।
 - 10 साल तक लीज़ या करिये पर 30 प्रतशित सब्सिडी मिलेगी।
 - ज़मीन खरीदने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतशित छूट जैसे प्रावधान।
- सेवा प्रदाताओं को लाभ-
 - 50 लाख तक के नविश पर 25 प्रतशित सब्सिडी,
 - पाँच लाख तक के लीज या करिये पर 30 प्रतशित सब्सिडी,
 - कई प्रदर्शनियों में ड्रोन का स्टॉल लगाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - इंटरनेट शुल्क में 100 प्रतशित तक छूट,
 - राज्य सरकार की ओर से चहिनति क्षेत्र में रसिरच पर 10 लाख रुपए तक की ग्रांट मिलेगी।